पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर 492002
ई-मेल-igcafphq.2011@gmail.com फोन नं. 0771-2434959, फैक्स नं. 0771-2434009

क्रमांक-पु.मु./अ.म.नि./छ.स.बल मुख्या./सेक्शन-3(भर्ती)/ I-1012 /23, दिनांक : 06/10/2023

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-04/2023/दो-गृह/रापुसे नवा रायपुर, दिनांक 21.08.2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अन्तर्गत **आरक्षक (बैण्ड)** के कुल-03 (तकनीकी पद) रिक्त पदों को भरने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहिनियों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के इच्छुक, पात्र **पुरूष** उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट **www.cgpolice.gov.in** पर दिनांक **20/10/2023** से ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

(1) रिक्त पदों की संख्या :-

स.क्र.	पदनाम	रिक्त पद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व. (गैर-क्रीमीलेयर)	योग	वेतनमान
1.	आरक्षक (बैण्ड)	3	1	0	1	1	3	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4

नोट :-

1. **आरक्षण** :-विज्ञापित पदों में शासन के निर्देशानुसार पात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 %, पात्र नगर सैनिकों के लिये 25 % समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण होगा।
2. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
3. केवल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिक को ही, नगर सैनिक कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी।

(2) प्रस्तावित भर्ती कार्यक्रम :-

1	ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	20/10/2023 (शुक्रवार)
2	ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि	30/11/2023 (गुरूवार) रात्रि 11.59 तक
3	परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग - रू. 200/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - रू. 125/-
4	आवेदन-पत्रों एवं दस्तावेजों की छानबीन, शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा ट्रेड टेस्ट	भर्ती कार्यक्रम की तिथि पृथक से निर्धारित किया जाकर सूचना समाचार पत्रों प्रकाशित की जावेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र एवं अन्य जानकारी पुलिस वेबसाईट **www.cgpolice.gov.in** पर से प्राप्त कर सकेंगे।
5	15 किलोमीटर की दौड़/चाल	उपरोक्तानुसार
6	चयन सूची जारी	उपरोक्तानुसार

(3) **भर्ती केन्द्र :-** आवेदन-पत्रों एवं दस्तावेजों की छानबीन, शारीरिक नापजोख (P.S.T.), शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.), ट्रेड टेस्ट (Trade Test), 15 किलोमीटर की दौड़/चाल (15 K.M. Run/Walk) हेतु -प्रथम वाहिनी छ.स.बल, भिलाई, जिला-दुर्ग

(4) **वेतनमान :-** आरक्षक (बैण्ड) :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (प्रारंभिक वेतन रू. 19,500/-) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत देय भत्ते।

(5) निर्धारित आयु सीमा :-

i दिनाँक 1-1-2023 को आधार मानकर अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक न हो।

ii यदि अभ्यर्थी आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) का हो तो आयु अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

iii उन अभ्यर्थियों की जो छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी हों, अथवा छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयु सीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :-

1. कोई अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2. कोई अभ्यर्थी, जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ;

3. कोई अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक वार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी वशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

v ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

vi अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

vii खेल नीति के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी परिपत्र के प्रावधान लागू रहेंगे।

viii उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हो, अधिकतम आयु सीमा को 36 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। (शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान तथा महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक के लिये शिथिलनीय होगी।)

ix स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी अर्थात उस नगर सैनिक/नान-कमीशंड अधिकारी को जिसने एक वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे आवश्यकतानुसार सामान्य अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे के पूर्ण सेवा वर्षों के बराबर की छूट दी जाए।

(6) शैक्षणिक अर्हताएँ :-

आरक्षक (बैण्ड)

- (10+2) प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ में स्थित विद्यालय से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे), नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी, जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हों, भी पात्र होंगे।
- अभ्यर्थी को म्यूजिक नोटेशन के आधार पर वाद्ययन्त्र बजाना आना चाहिए।
- सेना या अन्य केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियों को, जिन्हें बैण्ड वाद्ययन्त्र के बजाने में दक्षता प्राप्त हो, उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

नोट:- अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(7) शारीरिक अर्हता :- अभ्यर्थी के पास निम्नानुसार न्यूनतम शारीरिक अर्हता होनी आवश्यक होगी :-

आरक्षक (बैण्ड)

		पुरूष अभ्यर्थियों के लिये		
क्रमांक	विवरण	(क) ऊंचाई से.मी.	(ख) वक्ष (सीना) से.मी. में	
			अविस्तारित	पूर्णतः विस्तारित
1	सामान्य जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	168	81	86
2	मराठा, अ.जा.	165	79	84
3	गोरखा, गढ़वाली तथा कुमाऊँ	158	76	81
4	बस्तर संभाग के राजस्व जिलों (बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाडा, नारायणपुर, काँकेर एवं कोण्डागाँव) एवं सरगुजा संभाग के राजस्व जिलों (सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया एवं बलरामपुर) के अनुसूचित जनजाति	153	79	84
5	शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति	158	79	84

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सें.मी. का अंतर होना आवश्यक है इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।)

1. शारीरिक अर्हता के संबंध में किसी भी प्रकार का छूट का प्रावधान नहीं होगा।

2. ऊंचाई एवं सीने की नापतौल में भर्ती समिति का निर्णय अंतिम होगा।

नोटः-

1. अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी में नॉक नी, फ्लेट फूट नहीं होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिनाएक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 होनी चाहिए. मुख्य रंगो का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।
3. शारीरिक अर्हता एवं नापजोख में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संबंधित भर्ती केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी के लिये मान्य होगा।

(8) परीक्षा कार्यक्रम :- आरक्षक (बैण्ड)

1. <u>आवेदन-पत्रों एवं दस्तावेजों की छानबीन तथा शारीरिक नापजोख :-</u>प्रथमतः अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों/प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की छानबीन की जावेगी। तत्पश्चात् पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का विन्दु क्रमांक-7 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शारीरिक नापजोख किया जावेगा (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर)।

2. <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा :-</u>

प्रथम चरण अन्तर्गत आवेदन-पत्रों एवं दस्तावेजों की छानबीन तथा शारीरिक नापजोख परीक्षण में पात्र पाये गये सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा **(P.E.T.)** में भाग लेना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत 06 प्रतिस्पर्धायें होगी, जिसके लिये कुल 100 अंक रखे गये हैं। प्रतिस्पर्धाओं के प्रकार एवं समय तथा अंक संबंधी मापदण्ड (पैरामीटर) निम्नानुसार होगाः-

इवेन्ट (प्रतिस्पर्धायें) पुरूष अभ्यर्थी	समय/माप	अंक
100 मीटर दौड़	14 सेकेण्ड	16
	15 सेकेण्ड	12
	16 सेकेण्ड	08
	17 सेकेण्ड	04
	18 सेकेण्ड	00
1500 मीटर दौड़	05 मिनट 30 सेकेण्ड या कम	16
	05 मिनट 45 सेकेण्ड	12
	06 मिनट	08
	06 मिनट 15 सेकेण्ड	04
	06 मिनट 30 सेकेण्ड	00
लम्बी कूद	16 फीट	16
	15 फीट	12
	14 फीट	08

इवेन्ट (प्रतिस्पर्धायें) पुरूष अभ्यर्थी	समय/माप	अंक
	13 फीट	04
	12 फीट	00
ऊंची कूद	04 फीट	16
	03 फीट 11 इंच	12
	03 फीट 10 इंच	08
	03 फीट 09 इंच	04
	03 फीट 08 इंच	00
गोला फेंक 16 पाउण्ड वजन	20 फीट	16
	19 फीट 06 इंच	12
	19 फीट	08
	18 फीट 06 इंच	04
	18 फीट	00
पीठ पर 25 कि.ग्रा. वजन रखकर 100 मीटर दौड़ना	22 सेकेण्ड	20
	24 सेकेण्ड	15
	26 सेकेण्ड	10
	28 सेकेण्ड	05
	28 सेकेण्ड से अधिक	00

उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धाओं के लिए अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा तथा अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित 100 अंकों में से 60 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा।

3. <u>ट्रेड टेस्टः-</u>

आरक्षक (बैण्ड) हेतु आवेदित अभ्यर्थियों में से आवेदन-पत्र/दस्तावेजों की छानबीन एवं शारीरिक नापजोख परीक्षण तथा शारीरिक मापदण्ड में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होने हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों में से समस्त शारीरिक पैरामीटर में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को म्यूजिक नोटेशन के आधार पर विविध वाद्ययन्त्र बजाने संबंधी ट्रेड टेस्ट देना होगा, जो 100 अंकों का होगा। ट्रेड टेस्ट में सफल होने के लिए अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 % किन्तु अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए 40 % अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।

4. <u>15 किलोमीटर की दौड़/चालः-</u>

ट्रेड टेस्ट के पश्चात्, मेरिट लिस्ट प्रवर्ग के अनुसार तैयार की जाएगी, इसमें विज्ञापित पदों की संख्या के पाँच गुना अभ्यर्थियों को 15 किलोमीटर की दौड़/चाल में भाग लेना होगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थी जांच के लिए पात्र होंगे भले ही यह विज्ञापित पदों के पांच गुने की सीमा से अधिक हो। अभ्यर्थियों को 15 किलोमीटर की दौड़/चाल को **दो घण्टे में पूर्ण करना होगा, तभी वे अर्ह माने जाएंगे।**

(9) **बोनस अंक :-** नीचे दर्शाये अनुसार प्रत्येक शीर्ष क, ख, तथा ग के अंतर्गत 5 अंक का बोनस अंक विहित है अधिकतम 10 अंक।

(क) शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र;

(ख) खेलकूद (राष्ट्रीय स्तर) में प्रवीणता (राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस संबंधित खेल में अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उसमें केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी);

(ग) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्रधारी;

टीप :- आवेदन-पत्र भरते समय बोनस संबंधी प्रमाण-पत्र का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए बाद में दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(10) **यात्रा-भत्ता :-** ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित होने वाले अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के अभ्यार्थियों को नियमानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जावेगा। परंतु पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी।

(11) **चयन सूची :-** कुल पूर्णांक 200 अंक के होंगे तथा बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट-100 अंक, ट्रेड टेस्ट-100 अंक तथा बोनस अंक-10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर विज्ञापित पदों के लिए पृथक-पृथक चयन सूची तैयार की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एवं बोनस अंकों में प्राप्तांकों के कुल योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची तैयार की जावेगी।

(12) **चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण :-** नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण संचालित/पूर्ण कराया जाएगा. चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप न होने और निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने पर ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर संबंधित इकाईयों में आमद देने का आदेश दिया जावेगा.

(13) **परिवीक्षा अवधि :-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(14) अर्हताएँ एवं अनर्हताएँ :-

i आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य अन्तर्गत किसी भी जिले का वास्तविक/स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

ii आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय में <u>सतत्/प्रचलित जीवित पंजीयन</u> होना आवश्यक है।

iii अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये ।

iv आरक्षक (बैण्ड) के पद पर सीधी भर्ती के लिये केवल पुरूष आवेदक ही पात्र होंगे।

v अभ्यर्थी की ओर से अपने चयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास चयन समिति द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिए उसकी निरर्हता मानी जाएगी।

vi कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

vii कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

viii आवेदक को आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ-ही अनिवार्य रूप से म्यूजिक नोटेशन के आधार पर वाद्ययन्त्र बजाना आना चाहिये।

(15) अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र :-

भर्ती के लिये इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज चेकिंग दिनांक को मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित निम्नांकित प्रमाण-पत्रों एवं अंक सूचियों की प्रतिलिपियाँ तथा 02 छायाचित्र (नवीनतम पासपोर्ट साईज) संबंधित भर्ती केन्द्र में प्रस्तुत करें :-

1. ऑनलाईन जमा किये गये आवेदन-पत्र की प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
3. म्यूजिक नोटेशन के आधार पर वाद्ययन्त्र बजाने संबंधी प्रमाण-पत्र।
4. सेना या अन्य केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियों को, जिन्हें वैण्ड वाद्ययन्त्र के बजाने में दक्षता प्राप्त हो, उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। अतः दक्षता संबंधी प्रमाण-पत्र।
5. जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची (जन्मतिथि अंकित हो)
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
7. जो अभ्यर्थी इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शारीरिक मापदण्ड/शुल्क/आरक्षण इत्यादि) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र ।
9. नगर सैनिक के लिए 03 वर्ष लगातार सेवाकाल पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र व जिला सेनानी, होमगार्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
11. विज्ञापन के बिन्दु क्रमांक-16 (10) के संबंध में स्व घोषणा पत्र/वचन-पत्र अथवा नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा भूतपूर्व सैनिक का लाभ प्राप्त कर वर्तमान में सेवा में नहीं है तो तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।

(16) महत्वपूर्ण :-

1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा

करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता विभाग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। दस्तोवेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, 15 कि. मी. की दौड़/चाल हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही विभाग पात्रता शर्तों की जांच करता है एवं तदानुसार ही नियुक्ति हेतु अर्ह माने जावेंगे।

4. अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अध्यधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
5. चयनित कर्मचारी की नियमानुसार सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अधिकारी को या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
6. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति को होगा।
7. चयन, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के **S.L.P.(C) No. 19668/2022**के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।
8. भर्ती बाबत् कोई भी विधि संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देश मान्य होंगे जो विभाग को लागू हो।
10. भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अनुसार शासकीय सेवा में यदि नियुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उस नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा विभिन्न पदों के लिए किए गए आवेदनों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, किन्तु इसके लिए उसे नियुक्ति के समय नियोक्ता को पूर्व में किए गए विभिन्न आवेदनों के तिथिवार विवरण के संबंध में स्व घोषणा पत्र/वचन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् किए जाने वाले आवेदनों में उसे पुनः आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में नियुक्त है तो नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् वर्तमान में सेवा में नहीं है तो तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि संबंधी विवरणिका वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे पूर्णरूपेण पढ़ने के बाद ही फार्म भरा जाये। त्रुटिपूर्ण एवं अधुरे भरे फार्म अमान्य कर दिये जावेंगे ।
13. तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में पुरूष विकल्प भरे जाने की स्थिति में पुरूष अभ्यर्थियों के निर्धारित शारीरिक मापदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
14. भर्ती संबंधी अद्यतन विस्तृत जानकारी, शारीरिक नापजोख, दस्तोवेजों की जांच, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, 15 किलोमीटर की दौड/चाल प्रवेश-पत्र की उपलब्धता छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट www.cgpolice.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा।

06/10/2023

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
हेतु-पुलिस महानिदेशक